पूर्व वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 अ सिविल प्रक्रिया संहिता)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी

पीठासीन अधिकारी :- संजय कुमार आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :- [illegible]/2024

1. अविनाश पुत्र सुल्तानराम जाति ब्राह्मण निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. ललिता देवी पत्नी अविनाश कुमार जाति ब्राह्मण निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। — वादीगण

बनाम

1. सुल्तानराम पुत्र कनीराम जाति ब्राह्मण निवासी मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. विद्यादेवी पत्नी सुल्तान जाति ब्राह्मण निवासीगान मेहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. निर्मला पुत्री सुल्तानराम पत्नी संजीव कुमार जाति ब्राह्मण निवासी मलसीसर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
4. चन्द्रकला पत्नी जयप्रकाश पुत्री सुल्तानराम जाति ब्राह्मण निवासी जैतासर तहसील सरदारशहर जिला चुरू।
5. गायत्री पत्नी पवन कुमार पुत्री सुल्तानराम जाति ब्राह्मण निवासी बीझबायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
6. प्रियंका पत्नी महेन्द्र कुमार पुत्री सुल्तानराम जाति ब्राह्मण निवासी बीझबायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
7. पूजा पारीक पत्नी जयपाल पुत्री विनोद कुमार जाति ब्राह्मण निवासी लाखासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
8. गोविन्द पारीक पुत्र विनोद कुमार जाति ब्राह्मण निवासी नंदराम की ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ।
9. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

— — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा :—88 आर.टी.ए.घोषणा

Signature Not Verified

निर्णय दिनांक :— 14:06:2024

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.02 16:34:32 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की ओर से श्री विजय [illegible] अधिवक्ता [illegible] प्रतिवादीगण की ओर से श्री नरेन्द्रपाल वर्मा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14:06:2024 को [illegible] कुमार आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 सुल्तानराम

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टिब्बी

Scanned with CamScanner

के नाम से चक नम्बर 1 एम.डी. की जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता संख्या 88/80 में दर्ज कुल 3.1650 हैक्टेयर अनकमाण्ड कृषि भूमि में से वादीगण को 2.024 हैक्टेयर आराजी के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक नम्बर 1 एम.डी. के खाता संख्या 88/80 में से प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करेगें। यह डिक्री आज दिनांक 14.06.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई

(सं[illegible] कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
[illegible] पत्र के लिये स्टाम्प	—	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	—
[illegible] पत्र के लिये स्टाम्प	—	अर्जी के लिये स्टाम्प	—
[illegible] के लिये स्टाम्प	—	प्लीडर की फीस	—
[illegible] पर प्लीडर की फीस	—	साक्षियो के लिये निर्वाह भत्ता	—
[illegible] के लिये निर्वाह भत्ता	—	आदेशिका की तामिल	—
[illegible]नर की फीस			
[illegible]देशिका की तामिल		कमिश्नर की फीस	—
[illegible]			—

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.08.02 16:34:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner